पत्रांक–वे0स0को0–27 / 2015
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के0 सेंथिल कुमार,
अपर सचिव।

सेवा में,

कुल सचिव,
पटना वि0वि0, पटना / मगध वि0वि, बोधगया / बी0आर0ए0 बिहार वि0वि, मुजफ्फरपुर / जय प्रकाश वि0वि0, छपरा / वीर कुवंर सिंह वि0वि0, आरा / बी0एन0मंडल वि0वि0, मधेपुरा / तिलका मांझी वि0वि, भागलपुर / ललित नारायण मिथिला वि0वि, दरभंगा एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

पटना, दिनांक.....

विषयः– राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त / मृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक 01.01.2006 के पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के आधार पर बकाये दावे के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–10052 / 2011 बिंध्याचल प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 08.10.15 को पारित न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से निदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस विषय पर दिनांक 13.10.2015 को आयोजित कार्यशाला में भी विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया है। कार्यशाला में न्यायोदश की प्रति भी उपलब्ध करायी गई है। सेवानिवृत्त / मृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक 01.01.2006 के पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के आधार पर बकाये दावे के भुगतान हेतु सरकार द्वारा विहित जाँच पत्र–सह–प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में विहित प्रपत्र में सेवानिवृत्त / मृत्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक 01.01.2006 के पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित पेंशन / पारिवारिक पेंशन के आधार पर बकाये दावे के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों / सेवापुस्त के आधार पर पूर्ण सूचना अंकित कर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक 10.11.2015 तक वेतन सत्यापन कोषांग, शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय, ताकि वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा भी न्यायादेश में निर्धारित तिथि दिनांक 30.11.2015 तक ऊपर अंकित तिथि तक विश्वविद्यालय से प्राप्त सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0 /
(के0 सेंथिल कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– वे0स0को0–27 / 2015 – 645 पटना, दिनांक 14.10.2015

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वेतन सत्यापन कोषांग / आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0मैनेजर से अनुरोध है कि वे इसे विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कर दें।

14/10/15
अपर सचिव

New letter A

विश्वविद्यालय का नाम– .....

सेवानिवृत्त/मृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक 01.01.2006 के पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित पेंशन के बकाए भुगतान हेतु विश्वविद्यालय द्वारा समर्पित।

जाँच–पत्र विवरणी

1. नाम–
2. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम–
3. मूल नियुक्ति के समय का पदनाम–
4. नियुक्ति हेतु स्वीकृत पद (आदेश सं0 एवं तिथि)–
5. नियुक्ति का प्रकार (आयोग/चयन समिति की अनुशंसा की स्थिति)–

अथवा

6. शिक्षकों के सामंजन के मामले में दिनांक 30.06.1977, 01.01.1981 एवं 28.02.1982 को निर्गत परिनियमों में अंकित प्रावधानों के आधार पर नियमितिकरण से संबंधित आदेश की संख्या एवं तिथि।
7. सेवा संपुष्टि आदेश सं0 एवं तिथि–
8. प्रोन्नति (योजना का नाम एवं तिथि)

   I.

   II.

   III.

9. प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सेवा काल में पी.एच.डी. के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि का विवरण (यदि लागू हो)–
10. सेवा–निवृति/मृत्यु की तिथि का पदनाम एवं तिथि–
11. सेवा–निवृति/मृत्यु की तिथि को प्राप्त मूल वेतन (वेतनमान एवं पदनाम सहित)–
12. विश्वविद्यालय की वेतन निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित अंतिम वेतन के आधार पर अनुमान्य निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की विवरणी–

13. क्या संबंधित शिक्षक को वेतनादि अनुमान्यता का निर्धारण विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त वित्त विभाग के अंकेक्षकों के द्वारा किया गया है, अगर किया गया हो तो उसकी छायाप्रति।

14. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित पेंशन की बकाया राशि के आधार पर प्रथम दो किस्त (40 प्रतिशत+15 प्रतिशत) की प्राप्त राशि–

प्रमाण पत्र

बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35 (2) एवं 35 (3) को दृष्टि पथ में रखते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि

(i) उपर्युक्त शिक्षक स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत् रूप से नियुक्त हुए थे।

(ii) इनको दी गयी प्रोन्नति की जांच विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम के निहित प्रावधानों के अंतर्गत कर ली गयी है और यह पाया गया है कि इन्हें नियमानुसार सही प्रोन्नति मिली थी।

(iii) शिक्षक के मामले में कालबद्ध प्रोन्नति दिनांक–23.09.1995 के प्रभाव से समाप्त कर दिए जाने संबंधी प्रावधान को संज्ञान में रखते हुए जांच किया गया है।

(iv) उपर्युक्त कर्मी के संबंध में ऊपर जांच पत्र में अंकित क्रमांक 1 से 14 में दी गयी सूचना विश्वविद्यालय में संधारित एवं उपलब्ध अभिलेखों/सेवापुस्त के आधार पर दिया गया है, जो सही है।

(v) विश्वविद्यालय स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि किसी भी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतनादि तथा पेंशनादि के मद में किसी भी स्तर से दुहरा भुगतान नहीं हुआ है।

नोट :– "इस पत्र में हस्ताक्षर किये जानेवाले पदाधिकारी का पूरा नाम एवं पदनाम अंकित किये जाने की अनिवार्यता है।"

(वित्त पदाधिकारी)	(वित्त समिति द्वारा वेतन निर्धारण समिति के नामित सदस्य)	(कुलसचिव) सदस्य सचिव, वेतन निर्धारण समिति	(प्रतिकुलपति) सदस्य वेतन निर्धारण समिति	(कुलपति) अध्यक्ष वेतन निर्धारण समिति